दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 16 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 347

महत्वपूर्ण एवं खास

कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72/2021- सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 13.09.2021 के माध्यम से कुशीनगर हवाई अड्डे को एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा के तौर पर घोषित किया गया है। इस कदम से बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को सहूलियत भी मिलेगी।

नीति आयोग भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर जारी करेगा रिपोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग कल, 16 सितंबर को भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी करेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉ के राजेश्वर राव एवं संबंधित मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित रहेंगे। नीति आयोग ने अक्टूबर, 2020 में भारत में शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के साथ अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है। रिपोर्ट में शहरी नियोजन के विभिन्न आयामों पर सिफारिशें दी गयी हैं- जैसे स्वस्थ शहरों की योजना बनाने के लिए कुछ बदलाव और अभिनव कार्य, शहरी भूमि का अधिकतम उपयोग, मानव-संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना, शहरी शासन को मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व का निर्माण, निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तार देना और शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना आदि।

भारतीय तटरक्षक ने खराब मौसम में दीव तट के पास सात मछुआरों को बचाया

नई दिल्ली(आरएनएस)। भारतीय तटरक्षक ने 13 सितंबर 2021 की रात को वनक बाड़ा, दीव के समीप डूब रही नाव से सात मछुआरों को बचाया। दीव प्रशासन से संकट का आह्वान मिलने पर आईसीजी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और पोरबंदर से स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) एमके-3 को तैनात किया ताकि दीव में गहरे चढ़ाव व उतराव और खराब मौसम की स्थिति में बचाव अभियान चलाया जा सके। यह गुजरात के पोरबंदर से करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर है। तेज हवाओं और बारिश के बीच भारतीय तटरक्षक का हेलीकॉप्टर तेजी से संकटग्रस्त क्षेत्र में पहुंच गया। इस स्थान पर समुद्र में गहरे अंधेरे के कारण कठिनाई बढ़ गई, हालांकि, सभी सात चालक दल को दो बार में सुरक्षित बाहर लाया गया और हेलीकाप्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वनक बाड़ा से नाव में मशीनरी खराब होने के कारण पावर टूट गया और नाव समुद्र के बीच संकट में फंस गई। सुरक्षित बाहर निकाले गए चालक दल को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया और सुरक्षित तथा स्वस्थ होने की सूचना दी गई।

तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो बाइक सवारों की हुई मौत

बेंगलुरू (आरएनएस)। बेंगलुरू में एक तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसपर सवार दो लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी फ्लाईओवर से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह हादसा बीती रात को हुआ। मृतकों की पहचान प्रीतम (30) और कृतिका (28) के रूप में हुई है, दोनों शहर में एक एमएनसी कंपनी के लिए काम करते थे और तमिलनाडु के रहने वाले थे। तेज रफ्तार कार के चालक की पहचान नितेश के रूप में हुई है और उसे गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक बेंगलुरु से तमिलनाडु के होसुर की ओर जा रहे थे। बीती देर रात तक उनकी पहचान हो गई और उनके माता-पिता बुधवार सुबह यहां पहुंचे। पीड़ितों के शवों को सेंट जॉन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के मुताबिक, प्रीतम और कृतिका इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी फ्लाईओवर पर बुलेट बाइक पर यात्रा कर रहे थे। कार चालक ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय नियंत्रण खो दिया और टक्कर मार दी।

एससी और एसटी की पदोन्नति में आरक्षण वाले निर्णयों पर नहीं होगा पुनर्विचार: सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीतियों में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जो शीर्ष अदालत की अलग-अलग संविधान पीठ ने पिछले दो फैसलों में तय की हैं।

साथ ही शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया कि वह एम. नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) मामलों में दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करेगी। इन दोनों फैसलों में ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नीतियों के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। इन दोनों मामलों में दिए निर्णय में शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले एससी-एसटी वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाने वाले मात्रात्मक डेटा जुटाने, प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक रोजगार पर आरक्षण के

प्रभाव का आकलन करने को अनिवार्य बनाया था। जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की पीठ मंगलवार को 11 विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों के आधार पर दाखिल 130 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। विभिन्न हाईकोर्ट ने पिछले दस सालों में विभिन्न आरक्षण नीतियों पर अपने फैसले दिए हैं। ये फैसले महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि राज्यों से जुड़े हैं।

पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि नागराज या जरनैल सिंह मामले को फिर से खोलने नहीं जा रहे हैं। इन मामलों में हमारे पास सीमित गुंजाइश है। हम केवल यह परखेंगे कि क्या हाईकोर्ट के फैसलों में शीर्ष अदालत के इन दो निर्णयों में तय सिद्धांतों का पालन हुआ है या नहीं? केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने नागराज मामले के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एससी-एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दिखाने के लिए मात्रात्मक डाटा के संग्रह की स्थिति 'अस्पष्ट' है। आरक्षित श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी पीठ से कहा कि दोनों निर्णय यह परिभाषित नहीं करते हैं कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व या कुशल कामकाज का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इस वजह से पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति है। उन्होंने आग्रह किया कि पीठ पिछले फैसलों को स्पष्ट करने के लिए कुछ दिशानिर्देश दे सकती है। लेकिन पीठ ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया।

फिर ठुकराई तदर्थ पदोन्नति की इजाजत देने की मांग

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर पूरे देश में 1.3 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए तदर्थ पदोन्नति करने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि ये पदोन्नति विशुद्ध रूप से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों की पदोन्नति के खिलाफ निर्णय आने पर निचले पद पर वापस भेजा जा सकता है। वेणुगोपाल ने बताया कि अप्रैल 2019 में अदालत के यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से कई विभागों में कामकाज बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन पीठ ने एक बार फिर से इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे पहले जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ पदोन्नति की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करने के लिए सरकार को सुको ने दिया दो सप्ताह का समय

नई दिल्ली (आरएनएस)। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता और रिक्तियों से संबंधित मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्ति करने के लिए और दो सप्ताह का और समय दिया है।

वहीं नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जब समितियों द्वारा कैंडिडेट के नामों को सुझाया गया है, तब अबतक इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। चीफ जस्टिस एनवी. रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा अगर पहले ही चिन्हित लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, तब वेट लिस्ट से क्यों चुना गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समिति द्वारा 41 लोगों का नाम सुझाया गया लेकिन 18 की ही नियुक्ति हुई है। हमें ये भी नहीं पता कि किस आधार पर लोगों को चुना गया।

सिफारिश वाली सूची से नियुक्ति न करने पर केंद्र सरकार को फटकार

सरकार द्वारा चुने गए नामों पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार अपने अनुसार ही उम्मीदवार को चुनेगी तो फिर चयन समिति की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों का चयन हुआ है, हम इससे खुश नहीं है। हमने 500 लोगों लोगों का साक्षात्कार किया, जिसमें से अब तक केवल 11 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया लेकिन उनमें से सिर्फ चार लोगों का चयन हुआ और सरकार ने बाकी वेटिंग लिस्ट से चुन लिए। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरणों में रिक्तियों के कारण स्थिति बेहद दयनीय है और वादियों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता।

बस से टक्कर के बाद कार में लगी आग, पांच लोग जिंदा जले

रामगढ़ (आरएनएस)। झारखंड के रामगढ़ जिले के मुरबंदा लारी के निकट बुधवार सुबह एक बस एवं वैगन आर कार में भीषण टक्कर हो गयी। बस कार के उपर चढ़ गयी और कार में आग लग गई जिससे उसमें बैठे एक लड़के एवं दो महिलाओं समेत सभी पांच लोगों की जलकर मौत हो गयी। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुबह लगभग आठ बजे एक वैगन आर कार की दूसरी तरफ से आ रही बस से रामगढ़ जिले के रजरप्पा पुलिस थाना क्षेत्र में गोला-रामगढ़ मुख्य मार्ग पर मुरबंदा लारी के निकट आमने सामने की भीषण टक्कर हो गयी। बस कार के उपर चढ़ गयी। कार में सवार सभी पांच लोग वहीं बुरी तरह फंस गये। थोड़ी ही देर बाद कार में आग लग गयी और एक लड़के एवं दो महिलाओं समेत सभी पांच लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गयी। दुर्घटना में मारे गये लोगों के शव इतनी बुरी तरह जल गये हैं कि उनकी पहचान मुश्किल हो गयी है। कुमार ने बताया कि सभी शवों को अंत्य परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैगन आर के पूरी तरह जल जाने के कारण गाड़ी की पंजीकरण संख्या के अलावा अन्य विवरण नहीं मिल सका है। गाड़ी पटना के आलोक रौशन के नाम पंजीकृत है। मृतकों की पहचान एवं अन्य कार्रवाई के लिए पटना पुलिस से संपर्क किया गया है।

भारत में नये पंजीकरण के लिए 736 अफगान लोगों के नाम दर्ज

नई दिल्ली (आरएनएस)। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी यूएनएचसीआर ने यहां कहा कि एक अगस्त से 11 सितंबर तक कुल 736 अफगान नागरिकों के नाम नये पंजीकरण के लिए दर्ज किये गए। एजेंसी ने साथ ही कहा कि वह भारत में अफगान नागरिकों के पंजीकरण और सहायता के बढ़ते अनुरोधों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रही है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी ने कहा कि वह वीजा जारी करने और अवधि बढ़ाने, सहायता और समाधान सहित अफगान नागरिकों

से संबंधित मामलों पर सरकार के साथ लगातार सम्पर्क में है। आंकड़ों के अनुसार भारत में यूएनएचसीआर के लिए 'पर्सन्स ऑफ कन्सर्न' की कुल संख्या 43,157 है। इनमें 15,559 शरणार्थी और शरण के इच्छुक लोग अफगानिस्तान के हैं। यूएनएचसीआर के लिए 'पर्सन्स ऑफ कन्सर्न' का मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित, शरण मांगने वाला, या बिना देश वाला व्यक्ति मानती है। संयुक्त राष्ट्र निकाय ने एक बयान में कहा कि एक अगस्त से 11 सितंबर तक यूएनएचसीआर द्वारा नये पंजीकरण के लिए 736 अफगानों के नाम दर्ज किये गए हैं। जिन लोगों ने यूएनएचसीआर से संपर्क किया है, उनमें वे अफगान शामिल हैं जो 2021 में आए हैं, जो पहले से बंद, शरण के मामलों को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं, छात्र, व्यवसायी, या चिकित्सीय या अन्य प्रकार के वीजा पर रह रहे हैं और जो अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति के कारण वापस जाने में असमर्थ हैं। यूएनएचसीआर ने कहा कि वह भारत में अफगानों के पंजीकरण और सहायता के बढ़ते अनुरोधों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र निकाय ने कहा कि यूएनएचसीआर अफगानिस्तान से आ रहे नए लोगों के वास्ते 'असुरक्षितों के लिए मानवीय सहायता कार्यक्रम' का दायरा बढ़ा रहा है।

भारत में हमलों के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन से भेजे थे हथियार

नई दिल्ली (आरएनएस)। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) और अंडरवर्ल्ड की ओर से भारत में त्योहारों के दौरान सिलसिलेवार धमाकों की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के पास जो हथियार मिले हैं, उनका पंजाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों से लिंक मिला है। माना जा रहा है कि हमले के लिए आतंकियों को हथियार ड्रोन के जरिए ही भेजा गया था।

सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से पकड़े गए आतंकवादियों के पास जो हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं, वे भारत पाकिस्तान सीमा पर अमृतसर में ड्रोन से

गिराए गए हथियारों से मेल खाते हैं। पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन ने अमृतसर में हथियार गिराए थे जो 9 अगस्त को बरामद हुए थे। पंजाब पुलिस को टिफिन बम, ग्रेनेड और 100 पिस्टल कार्ट्रिज बरामद हुए थे। बाद में इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने जिन आर्तकियों को पकड़ा है, उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई भी साजिश में शामिल है। जांच में पता चला है कि आर्तकियों को मेजर या लेफ्टिनेंट रैंक और गाजी नाम के अधिकारी ने ट्रेनिंग दी थी। गाजी के दो सहायक जब्बार और हमजा थे। पुलिस ने इस टेटर मॉड्यूल के 6 सदस्यों को दबोचा है। पुलिस ने बताया कि ये आतंकवादी देश में आगामी त्योहारों के दौरान कई विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान स्थित अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, आतंकी योजना को अंजाम देने के लिए अंडरवर्ल्ड के गुर्गों से जुड़ा था। आरोपियों की पहचान जान मोहम्मद शेख (47) उर्फ समीर, ओसामा (22), मूलचंद (47), जीशान कमर (28), मोहम्मद अबु बकर (23) और मोहम्मद आमिर जावेद (31) के तौर पर हुई है जिन्हें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में ओसामा और कमर पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हैं जो आईएसआई के निर्देश पर काम करते थे। उन्हें आईईडी लगाने के लिए दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में उपयुक्त स्थानों की तलाश करने का काम दिया गया था। विशेष पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) नीरज कुमार ठाकुर ने कहा कि कई राज्यों में चलाए गए अभियान में पाकिस्तान से प्रशिक्षित दो आतंकवादियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से दो, ओसामा और कमर इसी साल प्रशिक्षण के लिये पाकिस्तान गए थे, जिसके बाद वे भारत लौट आए थे।

स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के परीक्षण को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। स्पुतनिक की सिंगल डोज वाली कोविड -19 वैक्सीन (स्पुतनिक लाइट) को भारतीय आबादी पर तीसरे चरण की ब्रिजिंग परीक्षण करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने स्पुतनिक लाइट के लिए यह मंजूरी दी है। इससे पहले जुलाई में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति ने देश में रूसी टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के संचालन की आवश्यकता को खारिज करते हुए, स्पुतनिक-लाइट को आपातकालीन-उपयोग प्राधिकरण देने से इनकार कर दिया था। समिति ने नोट किया था कि स्पुतनिक लाइट स्पुतनिक-वी के घटक -1 के समान था और भारतीय आबादी में इसकी सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता डेटा पहले से ही एक परीक्षण में तैयार किया गया था। डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज ने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण करने के लिए पिछले साल रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) के साथ भागीदारी की थी। एसईसी द्वारा डॉ रेड्डीज को भारत में सिंगल-शॉट वैक्सीन के बाजार प्राधिकरण के लिए रूस में स्पुतनिक-लाइट के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण से सुरक्षा, इम्युनोजेनेसिटी और प्रभावकारिता डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

सिंधिया ने विशाखापत्तनम-मुंबई रूट पर सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, नागर विमानन राज्यमंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ नागर विमानन मंत्रालय में सचिव प्रदीप खरोला ने विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से मुंबई (महाराष्ट्र) तक पहली स्पाइसजेट उड़ान को वर्चुअल तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक (तेलुगु देशम) वासुपल्ली गणेश कुमार विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव मती उषा पाधी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष संजीव कुमार के साथ नागर विमानन मंत्रालय और एएआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी नागर विमानन मंत्रालय में आयोजित समारोह में उपस्थित थे।

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि है कि न केवल देश के महानगरों, बल्कि विशाखापत्तनम जैसे भारत के छिपे हुए गहनों की बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जाए। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम विशाखापत्तनम से भारत की वित्तीय राजधानी - मुंबई के

लिए सीधी उड़ान कनेक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। यह रोजगार, पर्यटन, छात्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की संभावनाओं को खोलेगा और आगे विशाखापत्तनम के लिए आर्थिक विकास के रूप में कार्य करेगा। हमारी नीति उड़ान - उड़े देश का आम नागरिक, के माध्यम से भारत के भीतरी इलाकों में बेहतर हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत पर्यटन क्रांति के मुहाने पर है। यह मंत्रालय यात्रा की कम लागत पर अधिक दूरी तक यात्रा की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, आज हम देश के विभिन्न राज्यों में 38 और उड़ानें शुरू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, विशाखापत्तनम अब 302 विमानों की आवाजाही के साथ 10 शहरों से जुड़ा हुआ है और हम विभिन्न पहलों के माध्यम से इनकी संख्या को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हम इस क्षेत्र के लिए नए रास्ते खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 7 वर्षों की छोटी अवधि में, हम 2016 में 60 हवाई अड्डों से 2021 में 136 हवाई अड्डों तक पहुंच गए हैं।

वर्तमान में, केवल एयर इंडिया समूह विशाखापत्तनम-मुंबई मार्ग पर उड़ानें संचालित करता है और अतिरिक्त उड़ान मूल निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग है। मैसर्स स्पाइसजेट द्वारा अतिरिक्त उड़ान भारत सरकार की 'सब उड़ें सब जुड़ें' पहल के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों के हवाई संपर्क को मजबूत करना है। मैसर्स स्पाइसजेट विशाखापत्तनम-मुंबई मार्ग पर बोइंग 737 विमान संचालित करेगा। इसके अलावा, भारत सरकार की गति शक्ति योजना के तहत, सभी ढांचागत विकास स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करेंगे और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेंगे। यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देता है।

विशाखापत्तनम, जिसे विजाग के नाम से भी जाना जाता है, देश के सबसे पुराने बंदरगाह शहरों में से एक है और अपने सुरम्य समुद्र तटों और शांत परिदृश्य के लिए जाना जाता है। विशाखापत्तनम का बंदरगाह भारत के सबसे पुराने शिपयार्ड और मानव निर्मित चमत्कारों तथा प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है।